



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24102020-222728
CG-DL-W-24102020-222728

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2020, शनिवार/आश्विन 19—आश्विन 25, 1942
No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2020, SATURDAY/ASVINA 19—ASVINA 25, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2020

का.आ. 920.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक श्री अश्विनी भाटिया (जन्म तिथि: 5.5.1962) को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 31.5.2022) प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2020-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 22nd August, 2020

S.O. 920.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Shri Ashwani Bhatia (date of birth: 5.5.1962), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director, State Bank of India with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.5.2022), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2020-BO.I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020

का.आ. 921.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एस. हरिशंकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक, जिन्हें दिनांक 3.9.2020 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है, के स्थान पर केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. कृष्णन को पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.5.2022) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 2020

S.O. 921.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints Shri S. Krishnan, Executive Director in Canara Bank as Managing Director and Chief Executive Officer in Punjab and Sind Bank, with effect from the date of assumption of office, and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.5.2022), or until further orders, whichever is earlier, *vice* Shri S. Harisankar, Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab and Sind Bank who has been permitted to retire on voluntary basis with effect from 3.9.2020.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

का.आ. 922.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को कॉलम (1) में निर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक, निदेशक के पद पर नामित करती है:

	(1)	(2)	(3)
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	श्री थोमस मैथ्यू	श्री पी. जे. थोमस (जन्म तिथि: 2.1.1959)
2.	यूको बैंक	डॉ. अरविन्द शर्मा	डॉ. तुली रॉय (जन्म तिथि: 23.12.1965)

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2020

S.O. 922.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:

	(1)	(2)	(3)
1.	Central Bank of India	Shri Thomas Mathew	Shri P. J. Thomas (date of birth: 2.1.1959)
2.	UCO Bank	Dr Arvind Sharma	Dr Tuli Roy (date of birth: 23.12.1965)

[F. No. 6/3/2011-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.